



लेखे एक दृष्टि में

2018-19



बिहार सरकार

लेखे एक दृष्टि में

वर्ष 2018-19 के लिए

बिहार सरकार

प्रस्तावना

मुझे अपने वार्षिक प्रकाशन बिहार सरकार के ‘लेखे एक दृष्टि में’, को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 अधिकृत करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राज्य के खातों के संबंध में संसद द्वारा बनाये गये ऐसे किसी कानून के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और शक्ति का प्रयोग करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) 1971 का अनुच्छेद 10 प्रावधान करता है कि सीएजी लेखे के संधारण के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों से लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए राज्य के लेखा संकलन के लिए जिम्मेदार हैं।

राज्य के वार्षिक लेखे, सौंपी गयी दायित्व के निर्वहन में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे तैयार किए गए हैं। वित्त लेखे तीन भागों में संकलित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के सापेक्ष किए गए अनुदानवार व्यय अंकित किए जाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रावधानित निधि के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है।

‘लेखे एक दृष्टि में’ सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। हितधारकों- विधानमंडल, कार्यपालक तथा लोकजन को लेखांकन सूचना प्रदान करने के लिए सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों, रेखा चित्रों और समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त प्रतिवेदन तथा ‘लेखे एक दृष्टि में’ का संयुक्त अवलोकन, हितधारकों को बिहार सरकार के विभिन्न वित्तीय पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सहायता प्रदान करेगी।

हमें आपकी मूल्यवान टिप्पणियों और सुझावों की अपेक्षा है, जो इस प्रकाशन के सुधार में सहायक होंगी।

प्रवीण कुमार सिंह

स्थान : पटना

दिनांक : 10 अगस्त 2020

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकूम)

बिहार, पटना

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य और बुनियादी मूल्य

दृष्टिकोणः

(भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।)

हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्वक नेतृत्व एवं लोक वित्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंकेक्षण एवं लेखांकन के सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रारंभ करने और लोक वित्त तथा प्रशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और ससमय रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है।

उद्देश्यः

(हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा हमारे आज किये जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।)

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे प्रशासन को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे हितधारकों-विधानमंडल, कार्यपालिका तथा लोकजन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

हमारे बुनियादी मूल्यः

(हमारे आंतरिक मूल्य हमारे समस्त कार्यकलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आकलन हेतु निर्देश चिन्ह प्रदान करते हैं।)

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक कुशलता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण



विषय सूची

अध्याय-I	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1	परिचय	7
1.2	लेखे की संरचना	7
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	9
1.4	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	11
1.5	लेखे की विशेषताएँ	14
1.6	घाटा और आधिक्य क्या इंगित करते हैं	15
अध्याय-II	प्राप्तियाँ	
2.1	परिचय	18
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	18
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	20
2.4	राज्य का स्व-कर राजस्व संग्रहण की कार्यकुशलता	22
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	22
2.6	विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति	23
2.7	सहायता अनुदान	24
2.8	लोक ऋण	24
अध्याय-III	व्यय	
3.1	परिचय	26
3.2	राजस्व व्यय	26
3.3	पूँजीगत व्यय	27
अध्याय-IV	स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय	
4.1	व्यय का संवितरण (2018-19)	29
4.2	स्कीम व्यय	29
4.3	स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय	30
4.4	वचनबद्ध व्यय	31
अध्याय-V	विनियोग लेखे	
5.1	वर्ष 2018-19 के विनियोग लेखे का सार	32
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	32
5.3	विशिष्ट बचतें	33

अध्याय-VI	परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ	
6.1	परिसंपत्तियाँ	36
6.2	ऋण तथा देयताएँ	36
6.3	गारंटीयाँ	37
अध्याय-VII	अन्य विषये	
7.1	आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष	38
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	38
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	38
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश	39
7.5	लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखा का प्रस्तुतीकरण	39
7.6	निवेश	40
7.7	अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की स्थिति	40
7.8	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र	41
7.9	सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र	42
7.10	व्यक्तिगत जमा खाता	43
7.11	लेखे का मिलान	44
7.12	व्यय का आधिक्य	45
7.13	उचन्त लेखा शेष	46
7.14	अपूर्ण पूँजीगत कार्यों पर वचनबद्धता	47
7.15	भारत सरकार लेखांकन मानक (आई०जी०ए०एस०) का अनुपालन	47



अध्याय I

विहंगावलोकन

1.1 परिचय


प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी), बिहार, विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित लेखा आँकड़े का मिलान, वर्गीकरण, संकलन कर बिहार सरकार का लेखा तैयार करता है। यह संकलन, जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्य एवं वन प्रमंडलों, अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदित मासिक लेखे के रूप में प्राप्त प्रारंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों पर आधारित होता है। प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा मासिक सिविल लेखे बिहार सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। वर्ष के संकलन कार्य वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार होने पर समाप्त होते हैं। ये प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के द्वारा अंकेक्षण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन रहते हैं जिसके पश्चात ये विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित किए जाते हैं।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:-

भाग-1 समेकित निधि	<p>सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व कर और करेतर राजस्व सहित, ऋण की उगाही और दिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित) समेकित निधि में शामिल हैं।</p> <p>सरकार के सभी खर्चे और संवितरण, ऋण का संवितरण और लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित) इस निधि से पूरित किये जाते हैं।</p>
भाग-2 आकस्मिक निधि	<p>आकस्मिक निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में किए गए व्यय जो विधायिका से अनुमोदन की प्रतीक्षा में है को पुरा करता है। ऐसा व्यय समेकित निधि से प्रतिपूरित होता है। बिहार सरकार के लिए इस निधि का अग्रदाय ₹350 करोड़ है।</p>
भाग-3 लोक लेखा	<p>लोक लेखा में ऋण से संबंधित लेनदेन (जो भाग 1 में सम्मिलित है उनके अलावे), 'जमा', 'अग्रिम', 'प्रेषण' और 'उचंत' को दर्ज किये जायेंगे। ऋण और जमा सरकार की देय देनदारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'अग्रिम' सरकार के प्राप्त हैं। 'प्रेषण और उचंत' लेनदेन समायोजन प्रविष्टियाँ हैं जिन्हे लेखे के अंतिम शीर्षों में प्रविष्टि के पश्चात अंतिम रूप से समायोजित माना जाना है।</p>

1.2.2 लेखे का संकलन



1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे, सरकार के वर्ष के प्राप्तियों और संवितरणों का राजस्व और पूँजीगत लेखे द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम, लोक ऋण तथा लोक लेखे में दर्ज शेषों के साथ लेखे में प्रदर्शित करता है। वित्त लेखे को और अधिक व्यापक तथा सूचनाप्रक बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांशीकृत विवरणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता एवं अन्य मदों से युक्त 'लेखे पर टिप्पणी' शामिल होते हैं। खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ (भाग-I) और परिशिष्टों (भाग-II) को रखा जाता है।


केन्द्रीय सरकार ने राज्य की क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निधि सीधे जारी की है। वर्ष 2018-19 में, भारत सरकार ने बिहार में क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹5,679 करोड़ (₹7,953 करोड़ पिछले वर्ष) सीधे जारी किये। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से परिचालित नहीं होती हैं, इसलिए वे राज्य सरकार के लेखे में परिलक्षित नहीं होती हैं। इस प्रकार के निधियों के स्थानान्तरण को वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किया गया है।

निम्नलिखित विवरणी वर्ष 2018-19 के वास्तविक वित्तीय परिणाम के साथ बजट का विवरण प्रदान करता है।

	बजट अनुमान	वास्तविकी	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	स०रा०घ०३० से वास्तविक की प्रतिशतता (*)
	(₹ करोड़ में)			
1. कर राजस्व (केन्द्रीय अंशदान सहित)	1,07,174	1,03,011	96	18
2. करेतर राजस्व	4,446	4,131	93	1
3. सहायता अनुदान और अंशदान	46,431	24,652	53	4
4. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,58,051	1,31,794	83	24
5. ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	409	1,825	446	0
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. उधार एवं अन्य दायित्व	11,204	13,807	123	2
8. पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	11,613	15,632	135	3
9. कुल प्राप्तियाँ (4+8)	1,69,664	1,47,426	87	26
10. राजस्व व्यय	1,36,740	1,24,897	91	22
11. ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय से)	10,763	10,071	94	2
12. पूँजीगत व्यय	32,417	21,058	65	4
13. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	507	1,471	290	0
14. कुल व्यय (10+12+13)	1,69,664	1,47,426	87	26
15. राजस्व अधिशेष (4-10)	21,311	6,897	32	1
16. राजकोषीय घाटा (4+5-14)	11,204	13,807	123	2

(*) 2018-19 के लिए स०रा०घ०३० ₹ 5,57,490 करोड़ था।

वर्ष 2018-19 में प्राप्तियाँ और व्यय



* उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आदि रोकड़ शेष तथा अंतरोकड़ शेष का निवल।

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत, विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। संविधान में निर्दिष्ट कुछ व्यय, जो समेकित निधि पर भारित हैं तथा जिन्हें विधानमंडल के मत के बिना खर्च किया जा सकता है, को छोड़कर अन्य सभी व्यय के लिए 'मतदान' की आवश्यकता है। बिहार सरकार के बजट में 51 अनुदान/विनियोग हैं। विनियोग लेखे का उद्देश्य यह इंगित करना है कि विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीकृत विनियोगों के साथ वास्तविक व्यय को किस सीमा तक अनुपालित किया गया है।

विनियोग अधिनियम, 2018-19 द्वारा ₹2,09,490 करोड़ का सकल व्यय और ₹0.01 लाख का व्यय में कमी (बसूलियों) के रूप में प्रावधानित किया गया था। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹1,60,317 करोड़ और व्यय में कमी ₹5,662 करोड़ हुआ। परिणामतः शुद्ध निवल बचत ₹ 49,172 करोड़ (23.47 प्रतिशत) हुआ और व्यय में कमी के रूप में ₹5,662 करोड़ का कम आकलन किया गया। सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्रों से आहरित राशि ₹632 करोड़ सम्मिलित है जिसमें से वर्ष के अंत तक ₹586 करोड़ से संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्र अप्राप्त रहने के कारण अभी तक लंबित है।

1.4 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता स्थिति को कायम रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके लेखे में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹1.73 करोड़) में कमी आती है, तब ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे अर्थोपाय अग्रिम जितनी ही अधिक राशि एवं जितनी ही अधिक संख्या में लिए या निकासी किए जाएँ, उतनी ही यह राज्य सरकार के रोकड़ शेष की प्रतिकूल स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बिहार सरकार द्वारा बिना अग्रिम लिए ही न्यूनतम शेष को कायम रखा गया।

1.4.2 रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) तब लिया जाता है जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बरकरार रखने की सीमा जो ₹1.73 करोड़ है में अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के बाद भी कमी आती है। वर्ष 2018-19 के दौरान बिहार सरकार ने न्यूनतम शेष बिना अग्रिम लिये कायम रखा।

1.4.3 निधि प्रवाह का विवरण

राज्य का राजस्व आधिक्य ₹6,897 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹13,807 करोड़ रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 1.24 प्रतिशत और 2.48 प्रतिशत को इंगित करता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 9.37 प्रतिशत है। इस घाटे को लोक ऋण (₹11,438 करोड़) में वृद्धि, लोक लेखे ₹2,479 करोड़ में वृद्धि और

आदि तथा अंत शेष के निवल ₹110.22 करोड़ से पूरित किया गया। ₹46,067 करोड़ जो राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति (₹1,31,794 करोड़) का लगभग 35 प्रतिशत बचनबद्ध व्यय, जैसे- वेतन (₹19,968 करोड़), ब्याज संदाय (₹ 10,071 करोड़) तथा पेंशन (₹ 16,028 करोड़) पर खर्च किया गया।


निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)


	foj.k	jk k
स्रोत	1 अप्रैल 2018 को रिजर्व बैंक प्रारंभिक रोकड़ शेष	47
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,31,794
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	1,825
	लोक ऋण	18,668
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	2,291
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	2,215
	जमा प्राप्तियाँ	50,632
	सिविल पेशगियाँ पुनर्भुगतान	264
	उचंत लेखा	5,18,922
	प्रेषण	11,698
	आकस्मिकता निधि	0
t kA		7,38,356

अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,24,897
	पूँजीगत व्यय	21,058
	प्रदत्त ऋण	1,471
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	7,230
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	2,014
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	2,215
	जमा राशि से किए गए व्यय	50,203
	प्रदत्त सिविल पेशगियाँ	361
	उचंत लेखा	5,17,129
	प्रेषण	11,621
t kA		157
t kA		7,38,356

1.4.4 रुपया जहाँ से आया



1.4.5 रुपया जहाँ गया



* मध्याहन भोजन योजना, साहकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी हुआ व्यय शामिल है।

1.5 वर्ष 2018-19 के वित्तीय विशेषताएँ

	बजट अनुमान 2018-19	वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	स०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता (\$)
1. राज्य का स्व-कर राजस्व	31,002	29,408	95	5
2. संघीय करों में राज्य का हिस्सा	76,172	73,603	97	13
3. करेतर राजस्व	4,446	4,131	93	1
4. सहायता अनुदान तथा अंशदान	46,431	24,652	53	5
5. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,58,051	1,31,794	83	24
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. ऋण एवं अग्रिमों की बसूली	409	1,825	446	0
8. उधार एवं अन्य दायित्व (A)	11,204	13,807	123	3
9. पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	11,613	15,632	135	3
10. कुल प्राप्तियाँ (5+9)	1,69,664	1,47,426	87	26
11. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (*)	91,597	77,654	73	12
12. राजस्व लेखा	77,003	77,532	101	14
13. 12 के व्यय में से ब्याज अदायगी	10,765	10,071	94	2
14. पूँजीगत लेखा	343	122	36	0
15. स्कीम व्यय (*)	1,10,998	69,772	63	13
16. राजस्व लेखा	59,737	47,365	79	7
17. पूँजीगत लेखा	32,581	22,407	69	6
18. कुल व्यय (11+15)	2,02,595	1,47,426	73	26
19. राजस्व व्यय (12+16)	1,36,740	1,24,897	91	22
20. पूँजीगत व्यय (14+17) (#)	32,924	22,529	68	4
21. राजस्व आधिक्य (5-19) (@)	21,311	6,897	32	1
22. राजकोषीय घाटा (5+6+7-18) (@)	11,204	13,807	123	3

(\\$) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का आँकड़ा ₹5,57,490 करोड़ बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं संस्थियकी निदेशालय) से प्राप्त सूचना से लिया गया है।

(#) पूँजीगत लेखे पर व्यय में पूँजीगत व्यय (₹21,058 करोड़), संवितरित कर्ज एवं अग्रिम (₹1,471 करोड़) सम्मिलित है।

(*) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत ₹63 करोड़ तथा स्कीम व्यय के अंतर्गत ₹1,407 करोड़ जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है, व्यय में सम्मिलित है।

(A) उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियाँ-व्यय) + आर्थिक एवं अंत रोकड़ शेष का निवल।

(@) राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटे की गणना में उदय अंतर्गत व्यय शामिल है।

घाटा और आधिक्य क्या निरूपित करता है ?

घाटा	राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे की प्रकृति, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया है तथा निधियों का प्रयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक हैं।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। राज्य सरकार के वर्तमान स्थापना को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय आवश्यक होता है और सिद्धांतः इसे राजस्व प्राप्ति से पूरित होना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियों (उधारों को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। इसलिए यह अंतर हींगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारों के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सिद्धांतः उधारों का निवेश पूँजीगत परियोजनाओं में होना चाहिए।

1.6 बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (बीएफ०आर०बी०एम०) अधिनियम, 2006


राज्य सरकार द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 सह पठित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित लक्ष्य, 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा तथा 2018-19 के लेखे के अनुसार उपलब्धियाँ निम्नवत हैं:

क्रम सं.	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	2007-08 में राजस्व आधिक्य प्राप्त करना तथा तत्पश्चात् आधिक्य बनाए रखना	राज्य सरकार ने 2007-08 से राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व आधिक्य (उदय को छोड़कर) ₹7,088.01 करोड़ (जीएसडीपी का 1.27 प्रतिशत) रहा। हालाँकि, यदि उदय अंतर्गत व्यय को शामिल किया जाता है तो यह ₹6,896.65 करोड़ (जीएसडीपी का 1.24 प्रतिशत) होगा।
2	राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)* के अनुपात को वर्ष 2011-12 में 3.00 प्रतिशत लाना तथा इसे 2018-19 तक बनाए रखना	2018-19 के दौरान राजकोषीय घाटा (उदय को छोड़कर) (₹13,615.40 करोड़) जीएसडीपी का 2.44 प्रतिशत था। हालाँकि, यदि उदय अंतर्गत व्यय को शामिल किया जाता है तो यह 2018-19 के दौरान (₹13,806.76 करोड़) जीएसडीपी का 2.48 प्रतिशत होगा।
3	वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में 25.25 प्रतिशत तक लाना	लेखे के अनुसार, 2018-19 के दौरान ऋण एवं बकाया दायित्व (₹1,66,589.54 करोड़) (उदय को छोड़कर), आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 29.88 प्रतिशत है। हालाँकि, यदि उदय अंतर्गत ऋण को शामिल किया जाता है तो यह (₹1,68,921.32 करोड़) जीएसडीपी का 30.30 प्रतिशत होगा।
4	वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर राजस्व संग्रहण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) प्रतिशत के रूप में 20.78 प्रतिशत तक बढ़ाना	लेखे के अनुसार, 2018-19 के दौरान कर राजस्व संग्रहण (₹1,03,011.27 करोड़) आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 18.48 प्रतिशत है।


*स्रोत : योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय), बिहार का पत्रांक सं० रा०आ०(वि०)-04/2016/1040/पटना दिनांक 13-08-2019 वर्ष 2018-19 में बिहार के लिए जीएसडीपी का आँकड़ा ₹5,57,490 करोड़ एनटीए में एफआरबीएम लक्ष्य पूर्ति-गणना के लिए लिया गया।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा बीएफआरबीएम अधिनियम के अधीन नियमों की रचना अभी तक नहीं की गई है।


1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)



1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)



1.6.3 उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपात



यह बांछनीय है कि पूँजीगत व्यय उधार ली गई निधियों से पूर्णतः वित्त पोषित हो तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज की वापसी अदायगी के लिए किया जाय। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान अपने पूँजीगत व्यय (₹21,058 करोड़) को चालू वर्ष के उधारों (₹18,668 करोड़) और राजस्व आधिक्य (₹6,897 करोड़) से वित्त पोषित किया गया है।

अध्याय II


प्राप्तियाँ

2.1 परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2018-19 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹1,47,426 करोड़ थीं।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित तथा लगाये गये कर और संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अन्तर्गत संघीय करों का राज्यांश सम्मिलित है।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित हैं।
सहायता अनुदान	मूलतः, संघ सरकार से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त संघ सरकार के माध्यम से विदेशी सरकारों से प्राप्त बाह्य सहायता अनुदान एवं सहायता, सामग्री तथा उपस्कर सम्मिलित हैं।



राजस्व प्राप्ति के घटक (2018-19)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविकी
क. कर राजस्व	1,03,011
राज्य का स्व-कर राजस्व	29,408
वस्तु और सेवा कर	15,288
आय तथा व्यय पर कर	125
सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	4,665
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	9,330
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	73,603
वस्तु और सेवा कर	19,617
आय तथा व्यय पर कर	44,448
सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	9
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	9,529
ख. करेतर राजस्व	4,131
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	1,386
सामान्य सेवायें	714
सामाजिक सेवायें	117
आर्थिक सेवायें	1,914
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	24,652
कुल- राजस्व प्राप्तियाँ	1,31,794

2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित राजस्व	57,713 (17)	74,372 (20)	82,623 (19)	88,220 (18)	1,03,011 (18)
कर राजस्व	1,558 (0.45)	2,186 (0.59)	2,403 (0.56)	3,507 (0.72)	4,131 (0.74)
सहायता अनुदान	19,146 (6)	19,565 (5)	20,559 (5)	25,720 (5)	24,652 (4)
करेतर राजस्व	78,417 (23)	96,123 (26)	1,05,585 (25)	1,17,447 (24)	1,31,794 (24)
कुल	3,42,951	3,69,469	4,25,888	4,87,628	5,57,490

नोट : कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

यद्यपि वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 14% की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में 12% की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में कर राजस्व में 17% तथा करेतर राजस्व में 18% की वृद्धि हुई। करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अधिक संग्रहण के कारण हुई:

- ‘ब्याज प्राप्तियाँ’ (₹1,372 करोड़),
- ‘अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग’ (₹1,561 करोड़),
- ‘पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियाँ’ (₹559 करोड़) तथा
- ‘लोक सेवा आयोग’ (₹34करोड़)।

इसके अलावा वर्ष 2018-19 में ‘शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति’ तथा ‘चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य’ के तहत संग्रहण क्रमशः ₹19 करोड़ तथा ₹67 करोड़ हुआ, जबकि वर्ष 2017-18 में इनके विरुद्ध संग्रहण क्रमशः ₹21 करोड़ तथा ₹55 करोड़ था। राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत ‘स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क’ (₹4,189 करोड़) और ‘वाहन कर’ (₹2,086 करोड़) में वृद्धि का रूझान देखा गया।

राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत घटकों की प्रवृत्ति




खण्डवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वस्तु और सेवा कर	0	0	0	14,244	34,905
आय तथा व्यय पर कर	22,180	26,085	32,097	36,857	44,573
संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	3,011	4,108	3,996	4,503	4,675
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	32,522	44,179	46,530	32,616	18,688
कुल- कर राजस्व	57,713	74,372	82,623	88,220	1,03,011

कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः ‘वस्तु और सेवा कर’ (₹34,905 करोड़), ‘निगम कर’ (₹25,597 करोड़), ‘आय पर निगम कर से भिन्न कर’ (₹18,851 करोड़), तथा ‘वाहन कर’ (₹2,086 करोड़) के अन्तर्गत अत्यधिक संग्रहण के कारण हुई है।



2.4 राज्य का स्व-कर एवं संघीय करों का राज्यांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों का राज्यांश	राज्य का स्व-कर राजस्व	
			राशि	स०रा०ध०उ० की प्रतिशतता
2014 - 15	57,713	36,963	20,750	6.05%
2015 - 16	74,372	48,923	25,449	6.89%
2016 - 17	82,623	55,881	23,742	5.57%
2017 - 18	88,220	65,083	23,137	4.74%
2018 - 19	1,03,011	73,603	29,408	5.27%

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के स्व-कर राजस्व का अनुपात प्रत्यक्ष रूप से 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित लक्ष्य 6.40% से कम है। जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष “संघीय करों का राज्यांश” 2014-15 के 10.78% से बढ़कर 2018-19 में 13.20% हो गया है, उसी अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष “राज्य के स्व-कर राजस्व” 5.27% से घटकर 6.05% रह गया है।

2.4.1 विगत पाँच वर्षों में राज्य के स्व-कर संग्रहण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

कर	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्री और व्यापार आदि पर कर	8,607	10,603	11,873	8,298	6,584
राज्य वस्तु और सेवा कर	0	0	0	6,747	15,288
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2,699	3,409	2,982	3,726	4,189
माल तथा यात्री कर	4,451	6,087	6,246	1,645	399
वाहन कर	964	1,081	1,257	1,599	2,086
भू राजस्व	277	695	971	778	477
आय तथा व्यय पर अन्य कर	55	65	79	87	125
राज्य उत्पाद शुल्क	3,217	3,142	29	(-3)	(-10)
अन्य	480	367	305	260	270
राज्य का कुल स्व-कर	20,750	25,449	23,742	23,137	29,408

2.5 कर संग्रहण की दक्षता

क. वस्तु और सेवा कर

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व संग्रहण	0	0	0	14,244	34,905
संग्रहण पर व्यय	0	0	0	72	114
कर संग्रहण की दक्षता	0	0	0	0.5%	0.32%

ख. संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व संग्रहण	3,011	4,108	3,996	4,503	4,675
संग्रहण पर व्यय	511	486	477	564	583
कर संग्रहण की दक्षता	17%	12%	12%	13%	12%

ग. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व संग्रहण	32,522	44,179	46,530	32,615	18,726
संग्रहण पर व्यय	185	180	256	289	269
कर संग्रहण की दक्षता	0.57%	0.41%	0.55%	0.89%	1.43%

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक मुख्य अंश है। वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण की दक्षता संतोषप्रद है।


2.6 विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वस्तु और सेवा कर	0	0	0	7,497	19,617
निगम कर	12,908	15,378	18,889	19,936	25,597
निगम कर से भिन्न आय पर कर	9,217	10,643	13,128	16,834	18,851
संपत्ति कर	35	4	43	(-)1	9
सीमा शुल्क	5,978	7,850	8,126	6,570	5,217
संघ उत्पाद शुल्क	3,376	6,577	9,279	6,868	3,467
सेवा कर	5,449	8,430	9,416	7,379	673
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	--	--	--	--	171
संघीय करों का राज्यांश	36,963	48,923	58,881	65,083	73,603
कुल राजस्व कर	57,713	74,372	82,623	88,220	1,03,011
कुल राजस्व कर से संघीय करों का प्रतिशत	64	66	71	74	71
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष संघीय करों का प्रतिशत	11	13	14	13	13

2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, वित्त आयोग अनुदान तथा राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्ति ₹24,652 करोड़ थी, जो निम्नवत है:-



सहायता अनुदान वर्ष 2017-18 के तुलना में 2018-19 में बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया। सहायता अनुदान के बजट अनुमान ₹46,431 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार ने वास्तविक रूप से ₹24,652 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया (बजट अनुमान का 53 प्रतिशत)।

2.8 लोक ऋण

लोक ऋण में आंतरिक ऋण और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम सम्मिलित होते हैं। आंतरिक ऋण में, बाजार कर्ज, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, वित्तीय संस्थानों से कर्ज तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि को जारी विशेष बंध पत्र सम्मिलित होते हैं।


विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंतरिक ऋण	10,224	14,142	16,604	7,930	9,835
केन्द्रीय कर्ज	85	116	758	586	1,603
कुल लोक ऋण	10,309	14,258	17,362	8,516	11,438

नोट - ऋणात्मक आँकड़े प्राप्तियों से अधिक भुगतान किए जाने को दर्शाते हैं।

वर्ष 2018-19 में, कुल ₹14,300 करोड़ के सात ऋण जो वर्ष 2029-30 में विमुक्त योग्य होंगे, को ब्याज दर 8.18 प्रतिशत से 8.44 प्रतिशत के बीच के सममूल्य पर लिए गये।

2018-19 के दौरान राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹16,134 करोड़ एवं इस अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण घटक के रूप में प्राप्त ₹2,534 करोड़ के जोड़ के विरुद्ध पूँजीगत परिव्यय ₹21,085 करोड़ था, जो दर्शाता है कि कुल लोक ऋण का उपयोग पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं विकासशील उद्देश्यों के लिए किया गया।



अध्याय III

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय का अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं के वर्तमान उपभोग तथा विभागीय गैर-पूँजीगत गतिविधियों के स्थापना व्यय से है। पूँजीगत व्यय भौतिक एवं स्थाई प्रकृति की नई परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा वर्तमान परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करने के लक्ष्य से किया गया व्यय है। इसमें निवेश भी शामिल होता है जिससे वर्ष के बाद निवेश पर लाभ प्राप्त होता है।

सामान्य सेवायें	सामान्य प्रशासन, न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं।
सामाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण इत्यादि सम्मिलित हैं।
आर्थिक सेवायें	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व व्यय ₹1,24,897 करोड़ बजट अनुमान से ₹11,843 करोड़ कम था। वर्ष 2018-19 में राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का 22 प्रतिशत था। स्कीम व्यय के अन्तर्गत ₹12,372 करोड़ तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत ₹529 करोड़ का कम खर्च हुआ। विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के विरुद्ध व्यय में कमी निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बजट अनुमान	91,765	91,209	1,09,941	1,22,603	1,36,740
वास्तविकी व्यय	72,570	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897
अन्तर	19,195	7,593	15,176	19,979	11,843
बजट अनुमान से अंतर का %	21	8	16	16	9


राज्य उपलब्ध संसाधनों के बाद भी बजट का व्यय नहीं कर सका। बजटीय व्यय से वास्तविक व्यय के मध्य प्रतिशत अंतर 9 था जो विकास हेतु व्यय की गति बढ़ाने की आवश्यकता को इंगित करता है।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2018-19)

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
क. सामान्य सेवायें	38,691	31
ख. सामाजिक सेवायें	58,284	47
ग. आर्थिक सेवायें	27,918	22
घ. सहायता अनुदान तथा अंशदान	4	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	1,24,897	100

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2014-18)

(₹ करोड़ में)



*सामान्य सेवायें मुख्य शीर्ष- 2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन), मुख्य शीर्ष- 2049 (व्याज अदायगियाँ) को सम्मिलित नहीं करता है तथा मुख्य शीर्ष- 3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को सम्मिलित करता है।

3.3 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2018-19 के लिए पूँजीगत संवितरण ₹22,529 करोड़ था जो जीएसडीपी का 4 प्रतिशत था। यह बजट अनुमान से ₹10,395 करोड़ कम था।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण


वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर ₹807 करोड़ (बृहद् सिंचाई पर ₹637 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹170 करोड़), बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर ₹1,244 करोड़ और ऊर्जा परियोजनाओं पर ₹5,035 करोड़ व्यय किया गया। उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹5,290 करोड़ निवेश किया गया।

क्रम सं०	क्षेत्र	राशि (₹करोड़ में)	प्रतिशत्ता
1.	सामान्य सेवायें- पुलिस, भू-राजस्व आदि।	3,311	15
2.	सामाजिक सेवायें- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण आदि।	4,061	18
3.	आर्थिक सेवायें- कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन आदि।	13,686	61
4.	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	1,471	6
	कुल	22,529	100

3.3.2 विगत पाँच वर्षों के पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹करोड़ में)

क्रम सं०	प्रभाग	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	सामान्य सेवायें	1,749	3,617	2,090	2,765	3,311
2.	सामाजिकसेवायें	1,673	2,740	3,592	4,258	4,061
3.	आर्थिकसेवायें	14,728	17,609	21,526	21,884	13,686
4.	ऋण तथा अग्रिम	369	621	114	243	1,471
	कुल	18,519	24,587	27,322	29,150	22,529




अध्याय IV

स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय

4.1 व्यय का संवितरण (2018-19)


(₹ करोड़ में)

	वास्तविक व्यय
स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	69,772
स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	77,654



4.2 स्कीम व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों) ₹69,772 करोड़ था जो कुल व्यय ₹1,47,426 करोड़ का 47 प्रतिशत था। इसमें राज्य स्कीम के अंतर्गत ₹27,970 करोड़, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत ₹39,972 करोड़, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत ₹423 करोड़ और ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹1,407 करोड़ सम्मिलित हैं।




4.2.1 पूँजीगत लेखे के अंतर्गत स्कीम व्यय

(₹करोड़ में)


	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18
कुल पूँजीगत व्यय	18,519	24,587	27,322	29,150	22,529
पूँजीगत व्यय (आयोजना)	18,428	24,082	27,264	29,076	22,407
कुल पूँजीगत व्यय से पूँजीगत व्यय (आयोजना) का प्रतिशत	99	98	99	99	99

4.3 स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय ₹77,654 करोड़ था, कुल व्यय ₹1,47,426 करोड़ का 53 प्रतिशत था। इस में राजस्व के अंतर्गत ₹77,532 करोड़, पूँजी के अंतर्गत ₹59 करोड़ तथा ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹63 करोड़ सम्मिलित हैं।



4.4 वचनबद्ध व्यय



घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वचनबद्ध व्यय	32,081	33,872	36,483	41,220	46,077
राजस्व व्यय	72,570	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897
राजस्व प्राप्तियाँ	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447	1,31,794
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	41	35	35	35	35
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	46	40	38	40	37

वचनबद्ध व्यय पर अत्यधिक राशि का व्यय, सरकार के लिए विकासात्मक व्यय के लचीलेपन को कम कर देती है।

अध्याय V

विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2018-19 के विनियोग लेखे का सार

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	1,24,981	26,883	34,110	1,51,864	1,15,368	(-)36,496
	प्रभारित	11,758	30	28	11,788	11,065	(-)723
2.	पूँजीगत						
	दत्तमत	32,417	4,182	11,770	36,599	25,184	(-)11,415
	प्रभारित	--	--	--	--	--	--
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	7,326	0	1	7,326	7,230	(-)96
4.	ऋण तथा अग्रिम						
	दत्तमत	507	1,406	441	1,913	1,471	(-)425
	कुल-	1,76,989	32,501	46,350	2,09,490	1,60,318	(-)49,172

5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) / आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	
2014-15	(-)31,354	(-)10,558	(+)3	(-)2,017	(-)43,926
2015-16	(-)27,491	(-)7,014	(-)38	(-)470	(-)35,013
2016-17	(-)30,563	(-)10,194	(-)52	(-)542	(-)41,351
2017-18	(-)35,777	(-)10,051	(-)143	(-)425	(-)46,396
2018-19	(-)37,220	(-)11,415	(-)96	(-)442	(-)49,173

5.3 विशिष्ट बचतें

किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का द्योतक है कि या तो कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें तथा विशिष्ट बचतें निम्नवत हैं:-

(कुल आबंटन के सापेक्ष बचत का प्रतिशत)

अनुदान	नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	dfkfoHkk	44%	54%	43%	44%	43%
4	edkoy foly;	26%	28%	21%	40%	38%
8	dyk kfr , oqfoHkk	35%	47%	35%	30%	32%
9	I gdkjrkfoHkk	31%	33%	33%	21%	37%
25	I pkki losdhfoHkk	79%	44%	24%	50%	56%
29	[ku , oHkRo foHkk	29%	37%	35%	36%	33%
30	vYI s; d dY; kkfoHkk	6%	9%	12%	49%	42%
37	xehkdksZfoHkk	25%	16%	5%	31%	66%
39	vkrki zau foHkk	59%	86%	67%	34%	66%
40	jkt Lo , oHkoy djk foHkk	32%	33%	46%	37%	32%
42	xehkfodk foHkk	54%	52%	44%	50%	33%
43	foKu , oai losdhfoHkk	45%	33%	18%	23%	31%
45	xUkmphks foHkk	80%	29%	33%	58%	33%
46	Ik zu foHkk	48%	31%	81%	16%	56%
48	'lgjhfdk vjsvlok foHkk	46%	37%	27%	36%	38%
51	I ekt dY; kkfoHkk	34%	22%	29%	27%	35%

वर्ष 2018-19 के दौरान कुल ₹18,282 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 12 प्रतिशत) जो कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरुद्ध ही विशिष्ट बचतें हुई तथापि अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। कुछ उदाहरण निम्नवत हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	dak foHk	राजस्व	2,702	557	1,823
2	Ikq oaeR; laku foHk	राजस्व	719	217	687
3	Hou fuelZ foHk	राजस्व	767	9	584
		पूँजी	3,194	475	2,650
4	eakley l fpoly; foHk	राजस्व	355	3	235
5	jR i ky l fpoly;	राजस्व	20	2	19
7	fujkh foHk	राजस्व	37	1	33
11	fi NtoxZ oavfr fi NtoxZ dY; kk foHk	राजस्व	1,512	43	1,212
12	folk foHk	राजस्व	1,046	39	980
16	i pkrhjkt foHk	राजस्व	9,954	291	8,408
17	dk R; &dj foHk	राजस्व	155	1	114
18	[k , oanHS k] jikk foHk	राजस्व	1,347	19	1,111
19	i ; k. k, oau foHk	राजस्व	358	9	319
		पूँजी	55	2	31
20	lakF; foHk	राजस्व	6,699	1,524	6,344
21	f Klk foHk	राजस्व	31,686	5,250	26,977
		पूँजी	440	107	424
22	Xg foHk	राजस्व	8,252	693	8,221
25	I puki kofdh foHk	राजस्व	175	89	91
26	Je laku foHk	राजस्व	722	4	551

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
27	fof/ foHkk	राजस्व	887	36	770
28	nfp Ukkly;	राजस्व	155	9	152
29	[ku , oHkRo foHkk	राजस्व	51	1	30
30	vYI ë; d dY, kkfoHkk	राजस्व	198	2	98
		पूँजी	240	20	167
32	fo/kuay	राजस्व	176	8	171
33	I lek; i zkk u foHkk	राजस्व	646	83	507
35	; lruk, oafolk foHkk	राजस्व	571	34	449
36	yld Lolk; vfk, kkkfoHkk	राजस्व	907	13	885
37	xekdkZfoHkk	राजस्व	1,203	1	1,005
		पूँजी	9,306	1,000	2,951
38	fuzu] nRkn , oae fuks foHkk	राजस्व	185	20	162
40	jkt Lo , oahly qjk foHkk	राजस्व	701	90	553
41	i Rkfuelk foHkk	राजस्व	1,416	2	930
42	xekfodk foHkk	राजस्व	15,320	3,632	12,777
43	foKlu , oai los dhfoHkk	राजस्व	151	35	141
44	vubfor tkr , oavubfor tutkr dY, kkfoHkk	राजस्व	1,382	82	1,023
46	lk zu foHkk	राजस्व	45	15	32
48	uj fodk , oavolk foHkk	राजस्व	4,414	948	3,297
51	I ekt dY, kkfoHkk	राजस्व	6,646	2,900	6,303
		पूँजी	194	16	43

अध्याय VI

परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ

6.1 परिसम्पत्तियाँ

वित्त लेखे सरकार की परिसम्पत्तियों, जैसे- भूमि, भवन आदि का मूल्यांकन उनके अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के सिवाय अन्य वर्षों में प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार, लेखे जहाँ चालू वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाते हैं, परन्तु एक सीमा तक केवल ब्याज दर एवं मौजूदा ऋण की अवधि को छोड़कर वे आगामी पीढ़ी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

2018-19 के अंत तक गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹28,327 करोड़ रहा। जबकि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹11.34 करोड़ (अर्थात् 0.04 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान निवेश में ₹5,290 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में ₹10.00 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹17,443 करोड़ था तथा जो मार्च 2019 के अंत में बढ़कर ₹14,949 करोड़ हो गया।

6.2 ऋण तथा देयताएँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद-293 राज्य सरकारों को राज्य के समेकित निधि की प्रतिभूतियों के एवज में राज्य को उस सीमा तक उधार लेने हेतु शक्ति प्रदान करता है, जो कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल देयताओं का विवरण निम्नवत है:-

(₹करोड़ में)


वर्ष	लोक ऋण	स०रा०घ०उ० काप्रतिशतता	लोक लेखे (*)	स०रा०घ०उ० काप्रतिशतता	कुलदेयताएँ	स०रा०घ०उ० काप्रतिशतता
2014-15	74,571	22	24,485	7	99,056	29
2015-16	88,829	24	27,749	8	1,16,578	32
2016-17	1,06,191	25	32,531	8	1,38,722	33
2017-18	1,14,707	23	42,070	9	1,56,777	32
2018-19	1,26,145	23	42,776	8	1,68,921	30

(*) उचन्त तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है।

टीप : आँकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी अंतशेष को दर्शाते हैं।

वर्ष 2017-18 की तुलना में लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹12,144 करोड़ (8 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

सरकार की देयताओं का रुझान



(*) बिना ब्याज वाली दायित्वें जैसे कि स्थानीय निधियों की जमा, अन्य उदिष्ट निधियाँ इत्यादि।

6.3 गारंटियाँ

सार्विधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जे और पूँजी तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों की स्थिति निम्नवत है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष के अंत तक	दी गई गारंटी की अधिकतम राशि (मात्र मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2014-15	5,315	2,001	148
2015-16	9,397	6,309	229
2016-17	13,053	4,460	178
2017-18	20,234	5,174	97
2018-19	20,834	5,398	104

अध्याय VII

अन्य विषये

7.1 आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष

राज्य सरकारों का ऋण ग्रहण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेने के अलावा, राज्य सरकारें राज्य बजट के बाहर रखे गए विभिन्न योजनागत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए गारंटी भी प्रदान करती हैं। इन ऋणों को संबंधित प्रशासनिक विभागों की प्राप्ति के रूप में व्यवहृत किया जाता है तथा ये सरकार के पुस्तकों में प्रकट नहीं होते हैं। 31 मार्च 2019 को आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹1,14,360 करोड़ शेष हैं।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2018-19 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹22,640 करोड़ के कुल ऋण तथा अग्रिम में से ₹20,110 करोड़ सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को ऋण तथा अग्रिम दिए गए। 31 मार्च 2019 के अंत तक मूलधन ₹7,855 करोड़ एवं ब्याज ₹9,038 करोड़ बकाए के रूप में वसूली योग्य थे। वर्ष 2018-19 के दौरान मात्र ₹1,825 करोड़ कर्ज तथा उधार के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें से ₹19 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित हैं।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान वर्ष 2014-15 में ₹22,359 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹51,764 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान का 18 प्रतिशत (₹9,277 करोड़) जिला परिषदों, नगरपालिकाओं/नगरनिगमों/परिषदों तथा ग्राम पंचायत सहित पंचायत समितियों को अनुदान दिया गया।

विगत पाँच वर्षों के लिए सहायता अनुदान का विवरण निम्नवत है:-

(रुकरोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद्	निगम/नगरपालिका/ परिषद	ग्राम पंचायत सहित पंचायत समिति	अन्य*	कुल
2014-15	1,173	659	1,253	19,274	22,359
2015-16	1,174	1,311	2,004	21,937	26,426
2016-17	725	1,700	1,934	31,850	36,209
2017-18	2,612	1,320	4,961	34,466	43,359
2018-19	1,749	1,759	5,769	42,487	51,764

*मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी किया गया व्यय शामिल है।

7.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(रुकरोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2018 को	31 मार्च 2019 को	निवल वृद्धि (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	47	157	110
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषागार विपत्र)	17,396	14,792	(-)2,604
अन्य रोकड़ शेष	186	235	49
(क) विभागीय शेष	342	759	417
उद्दिष्ट निधियों से निवेश	4,111	4,895	784
(क) निपेक्ष निधि	4,111	784	(-)3,327
(ख) गारंटी उन्मोचन निधि	--	--	--
(ग) अन्य निधियाँ	--	--	--
* प्राप्त ब्याज	800	909	109

(*) यह मात्र रोकड़ शेष के निवेश पर संग्रहित ब्याज को दर्शाता है।

राज्य सरकार के पास वर्ष 2018-19 के अंत तक रोकड़ शेष का अंतशेष धनात्मक था। इन निवेशों पर ब्याज प्राप्ति में 109 प्रतिशत की कमी हुई।


7.5 लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार के लेखे जिन्हें महालेखाकार के कार्यालय में संकलित किया जाता है, मुख्यतः कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों द्वारा समर्पित आरंभिक लेखे पर आधारित होता है। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथि कोषागारों के लिए अगामी माह के 5वीं तारीख तथा लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों के लिए 10वीं तारीख है। ससमय लेखे के प्रस्तुत नहीं होने के कारण राज्य सरकार को भेजे गए मासिक लेखे में उस कोषागार को शामिल नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप, लेखे के आँकड़े माह के वास्तविक व्यय अथवा प्राप्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिससे निर्णय गलत हो सकता है, यदि निर्णय अपूर्ण लेखे के आधार पर लिया गया हो।

वर्ष के दौरान मासिक लेखों में अपवाद को छोड़कर वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा छोड़ा नहीं गया।


7.6 निवेश

राज्य सरकार सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त उपक्रम कम्पनियों तथा सहकारिता संस्थानों में निवेश करती है। लेखे के अनुसार, सरकार ने 2018-19 के अंत तक ₹28,327.00 करोड़ निवेशित किया है।



7.7 अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की स्थिति

बिहार कोषागार संहिता के नियम 177 के अनुसार, कोषागार से किसी प्रकार की राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह तत्काल भुगतान के लिए अपेक्षित न हो। यदि विशेष परिस्थिति में धन की अग्रिम निकासी की जाती है, तो इस प्रकार से निकासी की गई राशि के अव्ययित शेष को आगामी विपत्र में कम निकासी करके चालान के माध्यम से, और प्रत्येक मामले में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले, जिसमें उस राशि की निकासी की गई है, कोषागार को वापस लौटा देना चाहिए। 31 मार्च 2019 को इन अनुदेशों के आलोक में ₹184.52 करोड़, जिसे कोषागार को वापस किया जाना चाहिए था, असमायोजित अग्रिम के रूप में लंबित थे। इसके अतिरिक्त, ₹25.46 करोड़, कार्य प्रमण्डलों में अग्रदाय के रूप में पड़े थे।



7.8 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र


बिहार कोषागार संहिता 2011 के अनुसार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अदृष्टिगत व्यय को पूरा करने के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से सेवा मुख्य शीर्षों के नामे करते हुए (अंतिम व्यय हेतु दर्ज) राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत होते हैं। इसके विरुद्ध उन्हें अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों सहित विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्रों को, आकस्मिक विपत्र की निकासी के छः माह के अंदर महालेखाकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुत करने में विलम्ब अथवा लम्बे समय तक प्रस्तुत नहीं किया जाना, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के अधीन हुए व्यय के अपारदर्शिता को प्रस्तुत करता है। दिनांक 31 मार्च 2019 को लंबित आकस्मिक विपत्रों की विवरणी नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विपत्र की राशि (₹ करोड़ में)	जीका
2016-17 तक	12,823	2,591.75
2017-18	1,259	2,593.20
2018-19	1,413*	585.60
तो 총	15,495	5,770.55

* 1,413 आकस्मिक विपत्रों में से ₹553.20 करोड़ की राशि के 1,380 आकस्मिक विपत्र 31 मार्च 2019 के बाद देय होंगे।

लंबित आकस्मिक विपत्रों का मुख्य भाग संबंधित है :-



2018-19 में ₹631.50 करोड़ राशि के 453 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित किए गए थे जिसमें से केवल मार्च 2019 में ₹296.97 करोड़ (2018-19 में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से आहरित कुल राशि का 47.03 प्रतिशत) की राशि संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से आहरित किये गये थे और इसमें से ₹2.16 करोड़ के 28 आकस्मिक विपत्रों की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान 1,453 आकस्मिक विपत्रों में से, ₹266.19 करोड़ (2018-19 में कुल आहरित किये गये आकस्मिक विपत्र का 42.15 प्रतिशत) के 68 आकस्मिक विपत्र विभिन्न पूँजी शीर्षों के अंतर्गत आहरित किये गये। मार्च माह में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से अत्यधिक व्यय इंगित करता है कि निकासी मुख्यतः बजट प्रावधानों को निःशेष करने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है।

7.9 सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र

वित्त विभाग के संकल्प सं०-एम००४-१५/२००९-९७३६/एफ०(२) दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा यथा संशोधित बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 के अनुसार, स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे एवं इसे अनुदान की निकासी के 18 माह के अन्दर महालेखाकार को भेजेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत किए गए सहायता अनुदान की विवरणी वित्त लेखे (खण्ड II) के परिशिष्ट-III में दर्शायी गई है।


31 मार्च 2019 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष (*)	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षित संख्या	राशि
2016-17 तक	1,812	19,847.73
2017-18	484	17,895.52
2018-19	157	17,661.84
जोड़	2,453	55,405.09

(* उपर्युक्त वर्णित वर्ष “लंबित वर्ष” से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात)

31 मार्च 2019 को ₹55,405.09 करोड़ राशि के 2,453 यू०सी० लंबित थे। प्रमुख चूककर्ता विभाग जिन्होने यू०सी० समर्पित नहीं किया है:



निर्दिष्ट अवधियों से परे लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए अनुदान की निर्धारित अवधि के अंदर उपयोगिता और अविश्वास को दर्शाता है।

7.10 व्यक्तिगत जमा (पी०डी०) खाता

इस खाते का उपयोग केवल उन विशेष मामलों के लिए किया जायेगा जहाँ सार्वजनिक हित में व्यय शीघ्रता पूर्वक किया जाना अपेक्षित है, जो समान्य कोषागार प्रक्रिया में संभव नहीं है या बड़ी संख्या में सुदूर इलाकों में बिखरे हुए छोटे लाभार्थी हैं जिनको कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष संवितरण व्यवहारिक नहीं है।

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 344 सह पठित वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या एम० 4-12/2013 (भाग-१)- 6487/एफ० दिनांक 21/07/2014 व्यवस्था करता है कि जमा करने वाले प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेंगे। पाँच लगातार वित्तीय वर्षों (वह वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई है) के बाद अव्ययित राशि व्यय नहीं की जानी चाहिए तथा शेष को संचित निधि में व्यय में कमी के रूप में संबंधित सेवा शीर्ष को स्थानान्तरित कर देना चाहिए।

31 मार्च 2019 को बिहार में 175 पीडी खाते थे। बिहार सरकार के पत्र संख्या 11262 दिनांक 5/10/2010 के अनुसार, तीन लगातार वर्षों से अपरिचालित पीडी खातों को बन्द किया जाना है। सरकार के उपर्युक्त निर्णय के विपरीत, ₹27.73 करोड़ शेष के 95 पीडी खाते जो पिछले तीन वर्षों से अपरिचालित हैं को बन्द नहीं किया गया हैं। 95 पीडी खाते में से 90 पीडी खाते का शेष शून्य है।

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 353 (बी) के अनुसार सभी स्थानीय खातों के प्रशासकों द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष के जमा की स्वीकृति का प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक कोषागार अधिकारी को भेज देना होगा, जिसके जाँचोपरान्त शीघ्रातिशीघ्र प्रधान महालेखाकार को भेज दिया जायेगा। जबकि 23 पीडी खातों के प्रशासक के प्रमाण-पत्र सिर्फ 10 कोषागार द्वारा प्रधान महालेखाकार को भेजे गये हैं।

56 राज्य कोषागारों से प्राप्त 175 व्यक्तिगत जमा खाते की विवरणी निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

तिथि	व्यक्ति	जमा
1 अप्रैल 2018 को	174	5,888.45
वर्ष के दौरान खोले गए	1	0.00
वर्ष के दौरान बन्द किए गए	0	0.00
कुल	175	5,888.45
वर्ष के दौरान प्राप्ति	46	1,417.50
वर्ष के दौरान भुगतान	59	2,928.83
31 मार्च 2019 को	175	4,377.12

7.11 लेखे का मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा ससमय विभागीय आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। यह कार्य विभागों के संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जाना है। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्यय ₹1,45,955 करोड़ (राजस्व एवं पूँजी) के विरुद्ध मात्र ₹27,106 करोड़ अर्थात् कुल व्यय के 19 प्रतिशत तथा कुल प्राप्तियाँ ₹1,31,794 करोड़ के विरुद्ध ₹1,15,955 करोड़ अर्थात् कुल प्राप्ति के 88 प्रतिशत का ही मिलान किया गया। मुख्य चूककर्ता विभाग हैं:-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (0029, 2029)	निबंध, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (0039, 2039)	वाणिज्यकर विभाग (0040, 2040)	परिवहन विभाग (0040, 2040)
गृह (आरक्षी) विभाग (0041, 2041)	भवन निर्माण विभाग (0055, 2055)	वित्त विभाग (2071)	शिक्षा विभाग (0202, 2202)
स्वास्थ्य विभाग (0210, 2210)	ग्रामीण कार्य विभाग (0215, 2215)	नगर विकास एवं आवास विभाग (0216, 2216)	समाज कल्याण विभाग (0235, 2235)
कृषि विभाग (0401, 2401)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (0405, 2405)	पर्यावरण एवं वन विभाग (0406, 2406)	पंचायती राज विभाग (0515, 2515)
जल संसाधन विभाग (0700, 2700)	लघु जल संसाधन विभाग (0702, 2702)	पथ निर्माण विभाग (1054, 3054)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (1456, 3456)

7.12 व्यय का आधिक्य


बिहार बजट मैनुअल नियम 113 निर्दिष्ट करता है कि व्यय का अत्यधिक प्रवाह, विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा एवं इससे बचना चाहिए। फिर भी यह देखा गया कि 14 विभागों ने मार्च 2019 में, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय के पचास प्रतिशत से अधिक व्यय किया :-

(₹ करोड़ में)

विभाग	व्यय	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	2018-19 वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा एवं इससे बचना चाहिए। फिर भी यह देखा गया कि 14 विभागों ने मार्च 2019 में, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय के पचास प्रतिशत से अधिक व्यय किया :-
01	कृषि विभाग	49.96	360.45	408.41	1,375.99	2,194.81	869.84	39.63
03	भवन निर्माण विभाग	78.12	448.03	365.74	2,342.05	3,233.94	1,425.04	44.07
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	22.90	45.00	37.91	128.86	234.67	104.79	44.65
06	निर्वाचन विभाग	3.80	13.36	16.84	81.46	115.46	59.73	51.73
09	सहकारिता विभाग	25.39	515.89	36.62	901.43	1,479.33	815.13	55.10
10	ऊर्जा विभाग	1,421.14	3,662.42	1,532.87	5,501.48	12,117.91	3,976.99	32.82
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	16.81	50.29	56.64	226.26	350.00	181.60	51.89
25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	0.54	12.04	18.79	141.38	172.75	84.00	48.63
41	पथ निर्माण विभाग	246.35	1,650.80	976.65	3,611.43	6,485.23	2,028.26	31.28
43	विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग	21.35	28.95	43.01	156.78	250.09	87.11	34.83
45	गन्ना उद्योग विभाग	7.38	16.42	31.10	114.56	169.46	76.49	45.14
47	परिवहन विभाग	6.90	10.83	24.07	1,120.40	1,162.20	1,063.32	91.49
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	53.43	684.09	705.25	1,857.25	3,300.02	1,031.67	31.26
50	लघु जल संसाधन विभाग	35.30	67.92	108.84	392.38	604.44	347.91	57.56

7.13 उच्न्त लेखे शेष

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, उच्न्त लेखे खातें में शेष 2014-15 के ₹3,493 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹4,724 करोड़ हो गया।



पिछले पाँच वर्षों के उचंत खातें के अंतर्गत शेष का विवरण निम्नलिखित है:-

(₹ करोड़)

उच्न्त लेखे	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वेतन तथा लेखा कार्यालय उच्न्त	245.63	270.29	296.05	335.27	314.56
उच्न्त लेखा (सिविल)	3,141.06	3,690.31	4,376.04	3,749.28	3,956.07
नकद परिनिधारण उच्न्त लेखा	32.29	32.29	32.29	32.29	32.29
रिजर्व बैंक उच्न्त (मुख्यालय)	263.83	266.28	265.26	261.88	264.58
रिजर्व बैंक उच्न्त (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	340.66	347.52	370.41	382.10	385.43
विभागीय समायोजन लेखा	104.45	104.45	104.45	104.41	104.41
स्रोत पर कर कटौती (टी०डी०एस०) उच्न्त	629.29	640.99	480.28	481.00	328.36
सामग्री क्रय परिनिधारण उच्न्त लेखा	66.11	66.11	66.11	66.11	66.11

7.14 अपूर्ण पूँजीगत कार्यों पर वचनबद्धता

वित्त लेखे खण्ड II के परिशिष्ट IX के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अर्पूण परियोजनाओं पर मूल अनुमानित खर्च ₹6,614 करोड़ के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 तक कुल ₹1,673 करोड़ व्यय किया गया।

‘अपूर्ण पूँजीगत कार्यों’ पर वचनबद्धता का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

०६ १६ क	dk ZfHk dk ue	dk Zdh vusfur ykr	o'ksnku Q;	o'ksnku i zkehQ;	y&cr Herku	i qikkds lkpk vusfur ykr
1	जल संसाधन विभाग	480.90	101.17	115.05	105.48	-
2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	204.63	11.80	93.04	111.58	-
3	भवन निर्माण विभाग	1,846.33	324.72	408.84	77.83	-
4	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	237.98	100.02	108.08	130.60	-
5	पथ निर्माण विभाग	3,828.04	714.98	939.02	2,067.36	-
6	ग्रामीण कार्य विभाग	16.49	6.36	8.64	7.80	-
total		6,614.37	1,259.05	1,672.67	2,500.65	-

7.15 भारत सरकार लेखांकन मानक (आई०जी०ए०एस०) का अनुपालन

भारत सरकार के लेखा मानक (आईजीएस) संघ और राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रकटीकरण को निर्दिष्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा तीन आईजीएस को अधिसूचित किया गया है। इन आईजीएस के संबंध में अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

आईजीएस-1- सरकार द्वारा दी गयी गारंटी: वित्त लेखे में प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी का व्याख्या वित्त लेखे के विवरण 9 और 20 में दर्शायी गयी है।

आईजीएएस-2- सहायता अनुदान का लेखा एवं वर्गीकरणः राज्य सरकार द्वारा प्राप्त या दी गई सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण से संबंधित आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं। आईजीएएस-2 के आवश्यकताओं के अनुसार विवरण 10 तैयार किया गया है।

आईजीएएस-3- सरकार द्वारा दी गयी ऋण तथा अग्रिमः वित्त लेखे में आवश्यक प्रकटीकरण तैयार किए जाते हैं। आईजीएएस-3 के जरूरत के अनुसार विवरण 7 और 18 को तैयार किया गया है। हालाँकि, अन्य ऋणदाता संस्था से बकाया राशि में भुगतान, अपरिवर्तनीय ऋण तथा अग्रिम का राइट-ऑफ एवं “एक ऋण को ऋण के रूप में अनंत काल तक स्वीकृत का मामला” नहीं बनाया जा सका क्योंकि ये जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई थी।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2019
www.cag.gov.in



www.ag.bih.nic.in